Form No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — न्यायालय सहायक कलक्टर बीकानेर (शहर)

काशीराम बनाम बनवारी वगै.

जी.सी.एम.एस. पॉर्टल सं.:– 2025/

किस्म मुकदमा – प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 व 151 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.07.2025	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी काशीराम की ओर से अधिवक्ता श्री मोहनलाल शर्मा द्वारा पेश किया। सरिश्ते से रिपोर्ट हुई। प्रार्थना पत्र में निवेदन किया गया कि प्रार्थी के विरुद्ध जारी एकपक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 26.05.2025 को न्यायहित में सेट एसाईड किये जाने के आदेश फरमाये ताकि प्रार्थी को न्यायहित में अपना पक्ष प्रस्तुत करने व सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किया जा सके। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थना पत्र से संबंधित वादपत्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। वादपत्र धारा 88, 53 आरटीए के तहत न्यायालय में प्रस्तुत हुआ था जिसमें दिनांक 26.05.2025 को वाद पत्र का निस्तारण किया जा चुका है। रिकॉर्ड का ध्यानपर्वूक अध्ययन किया गया। प्रार्थी काशीराम को दिनांक 11.06.2022 व दिनांक 23.08.2023 को दावे की तलबी बाबत रजिस्टर्ड सम्मन/नोटिस जारी किए गए थे। उसके बावजूद भी नियत दिनांक पेशी पर प्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए। इस बाबत न्यायालय द्वारा प्रार्थी को समुचित अवसर प्रदान किए जाने उपरांत न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 08.04.2024 को प्रार्थी काशीराम के खिलाफ तामीली की अवधारणा ली जाकर एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उक्त रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किये जाने बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं किया गया जबकि दावे की पत्रावली में प्रार्थी काशीराम पूर्व में दो बार रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी को सम्पूर्ण जानकारी होते हुए भी जान–बूझकर न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं होना पाया गया है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 09 नियम 13 व 151 सीपीसी महत्वपूर्ण तथ्यों के अभाव में अपूर्ण है तथा ऐसे प्रार्थना पत्र प्रारंभिक स्तर पर खारिज किए जाने योग्य है। अतः प्रार्थना प्रार्थी अंतर्गत आदेश 09 नियम 13 व धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाता है। सहायक कलक्टर बीकानेर शहर	